



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 134 /2025

दिनांक- 11.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक-11.04.2025 को थाना जीयनपुर पुलिस की टीम द्वारा हत्या में वांछित 25 हजार रूपयें के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त गमछा व पंच बरामद किया गया।

थाना-जीयनपुर

हत्या में वांछित 25 हजार रूपयें का इनामिया अपराधी को गमछा व पंच के साथ गिरफ्तार, पूर्व में 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त एक डंडा, गमछा व एक मोटरसाइकिल के साथ किया जा चुका है गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास:-

दिनांक 03.03.2025 को वादिनी शिवकुमारी पत्नी स्व0 श्याम कुवर चौहान, ग्राम भरौली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 28/03/25 को वादिनी का लडका अश्वनी चौहान उम्र 32 वर्ष शाम को गाँव के ही मैकु उर्फ रामचन्द्र यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव व गौरव सिंह पुत्र गिरीशचन्द्र के साथ दावत खाने जीयनपुर विशाल यादव के घर गया था। दावत खाने के बाद वादिनी का लडका अश्वनी, मैकु उर्फ रामचन्द्र तथा गौरव सिंह के साथ वापस घर के लिए निकला था लेकिन रास्ते में ग्राम जमीन नरहन के पास सडक के किनारे वादिनी के लडके का मृत अवस्था में शव मिला है, जिसके शरीर पर काफी चोट मौजूद है, हमे शंका है कि हमारे गाँव के मैकु उर्फ रामचन्द्र व गौरव सिंह ने उसकी हत्या कर दिया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 124/2025 धारा 103(1) BNS बनाम

1. मैकु उर्फ रामचन्द्र यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव, निवासी ग्राम भरौली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
2. गौरव सिंह पुत्र गिरीशचन्द्र सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 10 अन्य अभियुक्तों
1. शिवम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव, निवासी खतीबपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
2. अमित यादव पुत्र रामकेवल यादव, निवासी चक अमरौला, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
3. सर्फुद्दीन पुत्र मो0रोजिद, निवासी गांगेपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
4. सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र, निवासी मनचोभा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
5. आशीष यादव पुत्र हीरालाल यादव, निवासी बाजार बाग खालिस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
6. अनुराग उर्फ अंश उर्फ बन्टी पुत्र ज्ञानेन्द्र यादव, निवासी खतीबपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
7. आकाश यादव पुत्र रामसमुझ यादव, निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
8. विकास यादव पुत्र सुर्यप्रकाश यादव उर्फ शोरा, निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
9. दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात का नाम प्रकाश मे आया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5)/61(2)BNS की बढ़ोतरी की गयी ।

➔ दिनांक 05.04.2025 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त शिवम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव, निवासी खतीबपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को चुनगपार मोड़ से समय करीब 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना कारित करते समय मुह बाधने वाला गमछा व मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल लाठी बरामद किया गया। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा फरार अभियुक्त अमित यादव उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रूपयें का पुरस्कार घोषित किया गया था। जिसके क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 11.04.2025 को थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश मे आये 25 हजार रूपयें का इनामिया अभियुक्त अमित यादव पुत्र श्यामकेवल यादव

निवासी चक अमरौला बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को आजमगढ़ से दोहरीघाट जाने वाले मार्ग केशवपुर गांव जाने वाले मोड़ के पास **मुराली की गुमटी के पास** सड़क के किनारे थाना जीयनपुर आजमगढ़ से **समय 06:10 बजे** हिरासत पुलिस मे लिया गया अभियुक्त द्वारा घटना कारित करते समय **मुंह बाधने वाला गमछा** व **आला कल्ट पंच** को अभियुक्त के **निशानदेही** के आधार पर मुराली की गुमटी से 50 मीटर आगे जीयनपुर जाने वाले मार्ग के दाहिने तरफ पेड़ को सुरक्षित करने के लिये ईट के बने हुये घेरे के अन्दर मे से **पंच** को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि रामचन्द्र उर्फ मैकु का पिछले प्रधानी के चुनाव में उसके विरुद्ध खड़े होने वाले, उसके गांव के ही अश्वनी चौहान पुत्र श्याम कुवर चौहान से पिछले प्रधानी चुनाव से ही रंजिश चल रही थी। इस बार प्रधानी चुनाव दोनो लड़ना चाहते थे रामचन्द्र उर्फ मैकु को यह डर था की यदि अश्वनी चौहान भी प्रधानी चुनाव लड़ जायेगा तो मै नहीं जीत पाऊंगा। इसलिये वह अश्वनी के साथ आता जाता रहता था और साथ साथ दावत में भी ले जाता था ताकि उसको कोई शंका न हो और अश्वनी चौहान को रामचन्द्र उर्फ मैकु अपने रास्ते से हटाने के फिराक मे लगा रहता था। इसके बारे मे वह पहले भी कई बार मुझसे व मेरे अन्य साथियों अमित यादव पुत्र रामकेवल यादव निवासी चकअमरौला थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़,सर्फुद्दीन पुत्र मो0रोजिद ग्राम गांगेपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़,विकास यादव पुत्र सूर्यप्रकाश उर्फ शोरा निवासी दाउदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़,सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र निवासी मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़,आशीष यादव पुत्र हीरालाल यादव निवासी बाजार बाग खालिस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़,अनुराग उर्फ अंश उर्फ बन्टी पुत्र ज्ञानेन्द्र यादव निवासी खतीबपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़,आकाश यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी दाउदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, रामचन्द्र उर्फ मैकु पुत्र स्व0 कन्हैया निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ से अश्वनी चौहान को ठिकाने लगाने की बात की थी। हम सभी लोग मिलकर कई बार दावत भी कर चुके है। हममें से कई लोग पहले भी जेल जा चुके है। दिनांक 28.03.2025 की रात्रि में विकास यादव पुत्र सूर्यप्रकाश यादव उर्फ शोरा के मुबारकपुर रोड़ स्थित गोल्डेन मैरेज हाल के सामने मकान मे दावत था। उस दावत मे मैं तथा विकास यादव,अनुराग उर्फ अंश,आकाश यादव,अमित यादव,आशीष व सर्फुद्दीन भी आये थे तथा हमारा दोस्त यशवन्त यादव पुत्र गोपाल यादव निवासी छतरपुर दलेल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ भी आया था जब मीट बन रहा था। उसी रात में हसनपट्टी में एयरटेल टावर के पास विशाल यादव पुत्र शम्भू यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ के यहाँ दावत था तो वहाँ पर रामचन्द्र उर्फ मैकु दावत खिलाने के बहाने अश्वनी चौहान को लेकर गया हुआ था। जब हमलोग विकास यादव पुत्र सूर्यप्रकाश उर्फ शोरा निवासी दाउदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के गोल्डेन मैरेज हाल के सामने स्थित मकान मे पार्टी कर रहे थे तो मकान के नीचे रामचन्द्र उर्फ मैकु पुत्र स्व0 कन्हैया यादव निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़,सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ आया और कहा की अश्वनी चौहान पुत्र स्व0 श्याम कुवर चौहान निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जीयनपुर से दावत खाकर घर के लिये निकल गया है। रास्ते में हम लोग इसका काम तमाम कर देंगे क्योंकि रात मे रास्ते मे कोई और नही मिलेगा तभी हमलोग यशवन्त यादव को कहे की तुम यही छत पर मीट देखो हमलोग कुछ देर मे आ रहे है और मै तथा,विकास यादव,अनुराग उर्फ अंश,आकाश यादव,अमित यादव,सर्फुद्दीन आशीष मकान से नीचे उतर आये हमलोग रामचन्द्र उर्फ मैकु द्वारा बतायी गयी बात को सभी लोग को बताये तो सभी लोग डण्डा ले लिये और हम सभी लोग सफेद गमझे से अपना मुह बाध लिये और वहां से रामचन्द्र उर्फ मैकु के साथ उसके द्वारा बताये गये स्थान की ओर चल दिये। जब हमलोग नरहन गांव के आगे पहुचे तो वहाँ पर पहले से 02 व्यक्ति मिले जिनको मैं जानता पहचानता नही हूं। कुछ समय पश्चात अश्वनी चौहान अपनी मोटरसाइकिल से अजमतगढ़ की तरफ से आता दिखायी दिये तभी हमलोग नरहन गांव से अजमतगढ़ की तरफ अपनी अपनी मोटरसाइकिलो से चल दिये। तभी रामचन्द्र उर्फ मैकु अपनी मोटरसाइकिल पर सौरभ उर्फ करिया को बैठाकर आगे आगे चल दिया। समय करीब 11.15 बजे रात मे जब हमलोग अश्वनी चौहान के गाड़ी के पास पुहचे तो रामचन्द्र उर्फ मैकु ने अपनी मोटरसाइकिल का अगला चक्का अश्वनी चौहान के मोटरसाइकिल के पिछले चक्के से सटा दिया जिससे वह वही लड़खड़ा कर गिर गया तभी मै तथा सौरभ उर्फ करिया,सर्फुद्दीन,अनुराग उर्फ अंश अश्वनी चौहान को डण्डे से मारने लगे तथा रामचन्द्र उर्फ मैकु लोहे की राड से व अमित यादव पंच से मारने लगे तथा आशीष यादव,आकाश यादव व विकास यादव व दो व्यक्ति जिसको मै जानता नही हूं मिलकर अश्वनी चौहान को पकड़े रहे

और अश्वनी चौहान को मारते मारते सड़क के बगल झाड़ में ले गये हमलोग तब तक उसे मारते रहे जब उसकी मृत्यु नहीं हो गयी। जब हम लोग समझ गये की अश्वनी चौहान मर गया है तब उसके बाद हम सभी लोग मोटरसाइकिलों से विकास यादव के घर चले गये। और वहाँ पर आकाश,अमित,विकास ,अनुराग उर्फ अंश रूक गये और सभी लोग वहाँ से चले गये।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 124/2025 धारा 103(1) BNS बढ़ोतरी धारा 3(5)/61(2)BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-अमित यादव पुत्र श्यामकेवल यादव निवासी चक अमरौला बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष
बरामदगी का विवरण:- घटना में प्रयुक्त एक अदद आला पंच व गमछा।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0 124/2025 धारा 103(1) BNS बढ़ोतरी धारा 3(5)/61(2)BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0स0 144/2023 धारा 411/419/420/467/468/471 भादवि थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

3 मु0अ0स0 211/2023 धारा 419/420/411/413/473 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़

2.उ0नि0विश्वजीत पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

